परि. नि.

(83)

॥ प्रधान कार्यालय – छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ॥

डी– 252,253 सेक्टर–5, देवेन्द्रनगर, रायपुर.

=================================

क्रमांक/वविनि/प. नि./2002/ 1684 रायपुर, दिनांक: 07 /12/02

प्रति,

समस्त मंडल प्रबंधक,
छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि0

विषय:– वनोपज विदोहन एवं काष्ठागार के संबंध में निर्देश ।

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में सभी परियोजना मंडलों में बांस विदोहन का कार्य प्रारंभ हो गया है । बांस विदोहन के सम्बन्ध में पूर्व के प्रचलि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें । औद्योगिक बांस के निविदा द्वारा विक्रय के दौरान क्रेताओं/संस्थानों द्वारा आपत्ति उठायी जाती है कि बांस की लंबाई व गुला निर्धारित साइज में नहीं है जिससे कीमत में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साथ ही निगम की छवि भ धूमिल होती है । अतः निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें :–

॥1॥ बांस विदोहन का कार्य 15 फरवरी तक पूर्ण करा लिया जावे तथा नवम्बर से व्यापारिक बांस का परिवहन बांसागार में किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि बां से अधिक से अधिक दरें प्राप्त हो सकें ।

॥2॥ व्यापारिक बांस जितने अधिक लंबाई में प्राप्त हो सके निकाला जाय किन्तु पतली सिरे पर गुलाई 6 से. मी. से कम नहीं होना चाहिए ।

॥3॥ 01 मीटर के औद्योगिक बांस लंबाई 75 से. मी. से 1.25 मी. तक निर्धारित है अतः 125 बंडल बराबर 01 विक्रय इकाई मानकर थप्पी लगवायी जाय एवम् 2 मी के 60 बंडल की थप्पी बनाई जावे ।

॥4॥ औद्योगिक बांस में 02 मीटर के बांसों की लंबाई किसी भी स्थिति में 02 मीटर से कम नहीं होना चाहिए साथ ही पतली सिरे की गुलाई 6 से. मी. से कम न हो जिस मंडल के कूप प्रभारी द्वारा कम लंबाई के बांस कटवांया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावे ।

॥5॥ औद्योगिक बांस 2 मीटर एवं 1 मीटर के बंडलों में निर्धारित संख्या 20–20 नग से कम संख्या में नहीं होना चाहिए ।

॥6॥ औद्योगिक बांस का बांसागारों में थप्पी के समय दो बंडल निचली लेयर में ऊपें

...नों की थप्पीकरण से पूर्व कीटनाशक का प्रयोग सुनिश्चित किया जावे ।

(8) डिपो में लट्ठों व थप्पियों में पर्याप्त अंतर रखा जावे ताकि अग्नि दुर्घटना से सुरक्षित रहें ।

(9) डिपों में जगह-जगह रेत व मिट्टी की व्यवस्था होना चाहिए ।

(10) डिपो तक पहुँच मार्ग सुविधाजनक होना चाहिए ।

(11) व्यापारिक ... में ग्रेडिंग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो ... जाता है इससे बांसों की कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । ... (... 6 mtr, 6-9, 9-12 मी. तथा गुलाई में ए, बी, सी, डी (... 12-15 सै.मी., 15-18 सै.मी. एवं Over - 18 के अनुसार संग्रहित ...

(12) जलाऊ हेतु निर्धारित अस्थायी जलाऊ डिपों के स्थल का चुनाव करते ... जाय कि डिपो तक पहुँचने एवं निकासी के लिए मार्ग ... ताकि परिवहन एवं निकासी में बाधा न पहुँचे ।

(13) लट्ठों में 15 सै.मी. से कम गुलाई की काष्ठ न डाली जाये तथा ... काष्ठ या छोड़ या स्लीपर न डाली जावे । छोड़ की अलग थप्पी बनाई ...

(14) डिपो (टिम्बर/जलाऊ) को ब्लाक व सेक्टर में विभक्त किया जाय तथा ... कर लाईन में चूना का घोल डाला जाय ताकि लाईन स्थायी रहें जिसे ... दौरान वनोपज एक लाईन में रहे ।

(15) विक्रय पश्चात् परिवहन हेतु मार्ग का ठीक ढंग से रखरखाव किया जावे ।

(16) काष्ठ की ग्रेडिंग का सत्यापन उप प्रबंधक एवं मंडल प्रबंधक द्वारा मौके पर जाकर आवश्यकतानुसार यथोचित सुधार करावें ताकि इस कारण काष्ठ को ... मूल्य से कम कीमत पर बेचने की स्थिति न बनें । अवरोध मूल्य से कम मूल्य ... होने पर उसका कारण दर्शाए । काष्ठ कूपों में विदोहन के दौरान ... ध्यान रखा जावे अर्थात विशेष रूप से 90 से.मी. से ऊपर गोलाई के ... लट्ठों को दृष्टिगत रखते हुये अधिकतम लंबाई में लट्ठे निकलवाये जायें ... लंबाई के लट्ठे निकलवाये जाने पर निगम को अधिक से अधिक ... प्राप्त होगी । ... का कार्य ... द्वारा किया जावेगा । उचित ग्रेडिंग के अभाव में कम मूल्य प्राप्त ...

छत्तीसगढ़ शासन वन-विभाग द्वारा जारी नियमानुसार समयबद्ध दुरुस्त रखा जावे ।

§18§ काष्ठागार अधिकारी परिवहन भुगतान हेतु चालान 01 माह के दरम्यान पूर्ण कर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें । पहले परिवहन हुई काष्ठ के परिवहन देयकों को पहले भुगतान किया जावे । उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय ।

§19§ सलई, मोयन लकड़ी की कटाई तीव्र गति से करायी जावे तथा डिपों परिवहन तत्काल करायें काष्ठागार में उक्त वनोपज प्राप्त होते ही शीघ्र नीलाम द्वारा निवर्तन की कार्यवाही की जावे ताकि समय पर निगम को अच्छी राजस्व प्राप्त हो सकें ।

निर्देशों की अवहेलना पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

सधन्यवाद ।

भवदीय
निमित्त, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास नि0 लि0

प्रबंधक (परियोजना निर्माण) §डॉ. एस. सी. जेना§
छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि. प्रबंध संचालक.
रायपुर (छ.ग.)

पृ0क्र0/वविनि/प.नि./2002/ 1655 रायपुर, दिनांक: 09 /12/2002

प्रतिलिपि:- §1§ क्षेत्रीय महाप्रबंधक रायपुर ।
§2§ मुख्य लेखा अधिकारी ।

§डॉ. एस. सी. जेना§
प्रबंध संचालक.